राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

त्रैमासिक पत्रिका

A NEWS LETTER OF RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION

वर्ष-6 अंक : सत्रहवाँ वर्ष : 2010 वि.सं. : 2066-67 बिक्री के लिये नहीं

''अधिकारों के प्रति जागरूक रहो–कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहो''

अध्यक्ष–जस्टिस एन.के. जैन

आयोग के विगत पांच वर्ष (30.6.2010 तक) एक नजर में

- करीब 18138 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें से 17148 परिवाद का *logical conclusion* के साथ निस्तारण किये गये तथा 990 प्रकरण लम्बित हैं। जिनमें करीब 210 दिशा–निर्देशित मामलों में से करीब 165 मामलों में वास्तविक क्रियांविति कर आयोग को सूचित किया गया, करीब 45 परिवादों में दिए गये दिशा–निर्देश विभिन्न विभागों के स्तर पर पेंडिंग है।
- *Legal Literacy and Awareness Programme* के अन्तर्गत आमजन में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता के लिए विभिन्न कानूनी विषयों पर 32 बुकलेट्स आयोग के माननीय अध्यक्ष जस्टिस एन0के0जैन द्वारा लिखी गई। जिनमें से 18 का प्रकाशन आयोग के द्वारा किया गया। कुछ बुकलेट्स करीब 82 संस्थाओं द्वारा भी पुनः प्रकाशित करवाकर आयोग को सूचित किया गया। अब तक लगभग 90,000 (नब्बे हजार) बुकलेट्स निःशुल्क वितरित की जा चुकी है। पुस्तकें आयोग की वेबसाईट www.rshrc.nic.in व justicenagendrakjain.com पर भी उपलब्ध है। लगभग 100 से अधिक विद्यालयों/ संस्थाओं के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों मे उक्त किताबो के माध्यम से मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। जो कि एक सराहनीय कार्य है। 18 बुकलेट्स का संकलन कर स्कूलों, संस्थान व अन्य विधित लोगों को भेजा गया।
- आयोग की पहल और प्रयासों से संविधान के अनुच्छेद 51–ए में वर्णित मूल कर्तव्यों की बुकलेट व प्रारूप को करीब 105 विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं व संस्थाओं ने प्रकाशित किया तथा विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों को संकल्प दिलाया जा रहा है। इस प्रारूप के पेम्पलेट्स, कलैण्डर्स, बैनर्स, फ्लैक्सबोर्ड्स करीब 1,40,000 (एक लाख चालीस हजार) की संख्या में वितरित हो चुके हैं।
- विभिन्न विश्व–विद्यालयों/महाविद्यालयों के करीब 71 विधि–विद्यार्थियों ने आयोग में इन्टनशिप के दौरान अपने प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत किए । 41 पॉवरपाइंट प्रोजेक्ट्स आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं। आयोग ने प्रोजेक्टस को समय–समय पर चार सीडी में *consolidate* किया है। ये सी0डी0 विभिन्न विश्व–विद्यालयों/ महाविद्यालयों/विद्यालयों एवं संस्थाओं को वितरित की गई। जो अपने कार्यक्रमों के साथ प्रोजैक्टस को प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रसारित कर मानवाधिकारों के प्रति जनचेतना व जनजागरूकता में सहयोग दे रहे है।
- आयोग के माननीय अध्यक्ष व सदस्यों द्वारा जयपुर व राज्य के अन्य जिलों के प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी व स्वयंसेवी संस्थाओं को मानवअधिकारों की रक्षा एवं अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने की सलाह दी।
- माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पिछले 5 वर्षों में 100 से अधिक शैक्षणिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं व अन्य संगठनों के कार्यक्रमों में शिरकत कर मानवअधिकारों के प्रति जन जागरुकता हेतु चर्चा की।
- आयोग द्वारा पिछले पॉच वर्षों में कुल सात वार्षिक प्रतिवेदन (पूर्व वर्षों के 2 सहित) समय पर पेश किये।

इन सभी प्रयासों से आम नागरिकों में मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता व कर्तव्यों के प्रति समर्पण की भावना जागृत होगी तथा सभी अपने कर्तव्यों सही तरह से निर्वहन करेंगे और आयोग अपने उद्देश्यों में सफल हो पायेगा।

सम्पादक

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के महत्वपूर्ण निर्णय एवं दिशा–निर्देश

(माह अप्रैल, 2010 से जून, 2010 तक)

1. परिवाद संख्या– 9/17/2000 में आयोग द्वारा दिए गये दिशा–निर्देशों के अनुसार चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) द्वारा विभिन्न मेडिकल/ डेंटल कॉलेजों को लिखा गया। इन आदेशों की अनुपालना में अधीक्षक, महाराव भीमसिंह चिकित्सालय कोटा द्वारा परिपत्र जारी किया कि डाक्टर्स समय पर उपस्थित रहे, निर्धारित फीस से अधिक वसूल नहीं करें,, समय पर राउण्ड लें, अस्पताल में ब्लड की उपलब्धतता प्रदर्शित करें, स्टॉफ किसी निश्चित लैब से जांच कराने, दवाईयां लाने हेतु बाध्य न करें, अपने व्यवहार में विनम्रता लाये, आपरेशन थियेटर में उपलब्ध सामान का इन्डेंड रखे और समय पर मोनिटरिंग करें।

2. परिवाद संख्या– 9/17/2895 में आयोग ने कई लम्बित विभिन्न मामलों में समय पर वस्तुस्थिति उपलब्ध नहीं कराने पर महानिदेशक (पुलिस)/ महानिदेशक (जेल), जयपुर जिलें के सभी पुलिस अधीक्षकों,/मुख्य कार्यकारी अधिकारी–जयपुर नगर निगम को *'आयोग द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्व कोई टिप्पणी किए जाने से पूर्व उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु न्यायहित में एक मौका* दिया।

3. परिवाद संख्या– 10/17/36 में जेल में बेहतर सुविधाऐं उपलबध कराने और कैदियों के मानव अधिकारों का हनन रोकने के सम्बन्ध में अपने स्तर पर उचित कार्यवाही करने के निर्देश आयोग में उपस्थित आये महानिरीक्षक (जेल) को दिए।

4. परिवाद संख्या– 08/17/1842 में आयोग के समक्ष विभिन्न शैक्षेणिक संस्थाओं में महिलाओं के उत्पीडन की आ रही शिकायतों के मद्देनजर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड–अजमेर व सीबीएसई– अजमेर, प्रिंसिपल सेकेट्री– प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार तथा सभी शिक्षण संस्थाओं से अपेक्षा की कि वे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *विशाखा बनाम राजस्थान राज्य ए0आई0आर0 1997 (एस0सी0) 3011* में दिए गये निर्देशों की अनुपालना में कमेटी का गठन कर उनका नियमानुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें।

5. परिवाद संख्या– 09/17/812 में Dean, ICFAI Institute of Science & Technology, Dehradun सहित सभी शिक्षण संस्थाओं से अपेक्षा की गई कि वे बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाये, बिना Recognization, बिना बिल्डिंग के प्रोस्पेक्ट्स के माध्यम से विद्यार्थियों को कोर्स ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित कर पढाई शुरू ना करावें, जिससे विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड और मानव अधिकारों का हनन ना हो।

6. परिवाद संख्या– 9/33/2273 में आयोग द्वारा पुलिसकर्मियों को अपने व्यवहार में संवेदनशीलता लाने और अकारण ही पक्षकारान के साथ मारपीट नहीं करने की हिदायत दी गई।

7. परिवाद संख्या– 9/17/3300 में महानिदेशक पुलिस से अपेक्षा की गई कि सीएलजी सदस्यों के कार्यक्रमों की समय–समय पर मोनिटरिंग होती रहे और सीएलजी सदस्य भी वास्तव में संवेदनशीलता से काम करते हुए आमजन में स्वयं के प्रति विश्वास पैदा करें।

8. परिवाद संख्या– 08/17/1855 में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग से गुर्दा रोगियों को रोडवेज बसों में निःशुल्क या रियायती दरों पर यात्रा के सम्बन्ध में स्थिति और उनके विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के बारे में पूछा गया।

9. परिवाद संख्या– 10/17/611 में पुलिस थाने में जबरन मारपीट करने के सम्बन्ध में महानिदेशक पुलिस के निर्देशानुसार पुलिसकर्मी मदन सिंह, पु0नि0 के विरूद्व

आरोप प्रमाणित पाये जाने पर धारा– 16 सीसीए रूल्स के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही करने के सम्बन्ध में आयेग को सूचित किया गया।

10. परिवाद संख्या– 08/17/2353 में कल्याणकारी सरकार से अपेक्षा की गई कि वह आमजन के स्वास्थ्य हितों को ध्यान में रखकर तम्बाकु व ऐसे उत्पाद, जिनसे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडता हो, के विज्ञापनों/प्रचार माध्यमों पर रोक लगाने की नियमानुसार कार्यवाही करेंगे और इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से भी आपसी सहयोग और सामंजस्य बनाये रखते हुए कानून सम्मत कार्यवाही करना सुनिश्चित कराने की अपेक्षा की गई।

विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं/एन.जी.ओ. द्वारा आयोजित मानव अधिकारों की जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रमों में आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा शिरकत करने के साथ–साथ मानवाधिकारों व भारतीय संविधान के आर्टिकल–51ए में वर्णित कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बाबत् चर्चा की गई, जिनमें से कुछ निम्नांकित है:–

भीलवाडा में जिला स्तरीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक वाक्पीठ के 240 प्रधानाध्यापकों/शिक्षकगणों व जिला शिक्षा अधिकारी श्री सत्यनारायण पारीक एवं गणमान्य व्यक्तियों के साथ।

हिन्दी तिथि 9 मई 2010 को प्रताप जयंती के अवसर पर हल्दीघाटी संग्रहालय के सौजन्य से आयोजित 'मानवाधिकार रक्षा का संकल्प' कार्यक्रम में संग्रहालय के श्री मोहनश्रीमाली, जिला प्रमुख– श्रीकिशन, श्री रामकृष्ण गोस्वामी (भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान), विभिन्न जेल अधीक्षकगण व उपाधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी जगदीश चन्द्र खण्डेलवाल, शिक्षाविद् महिपाल सिंह राठौड, समाज सेवी राजकुलदीपसिंह, व डा. सुशील साहू व अन्य व्यक्तियों के साथ।

दिनांक– 14 मई 2010 को कैंसर पीडितों के ईलाज व समस्या पर विचार विमर्श में भगवान महावीर कैंसर अस्पताल एण्ड रिसर्च सेन्टर के सर्वश्री नवरतन जी कोठारी, मैडम अनिला कोठारी, जस्टिस पानाचन्द जैन, विमल सुराणा, डा0 टी.पी. जैन, डा0 ओंकार सक्सेना, डा0 कोठारी, श्री के.एल. शर्मा, डा0 कर्नल आर.के. चतुर्वेदी व कैंसर पीडितों व अन्य उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के साथ ।

दिनांक– 29 मई 2010 को जयपुर कैंसर रिलीफ सोसायटी के दसवें वार्षिक समारोह–2010 में माननीय न्यायाधिपति एम0एन0 भंडारी, सोसायटी के पदाधिकारीगण, कैंसर पीडितों व अन्य उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के साथ।

दिनांक– 12 जून 2010 को 'वयस्क विकलांग औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र' के दीक्षान्त समारोह में भारतीय समाज कल्याण परिषद् के अध्यक्ष श्री ज्ञानचन्द कोठारी मानद सचिव, ज्ञानचन्द जैन 'झांझरी', श्री के.एम. सहाय, मिसेज सहाय, मिसेज कोठारी व पदाधिकारी, हैल्पेज इण्डिया तथा ज्योति माहेश्वरी एजुकेशन संस्थान के पदाधिकारियों, प्रशिक्षणार्थियों व वरिष्ठ नागरिक बंधुओं के साथ।

दिनांक– 15 जून 2010 को World Elder Abuse Awareness Day पर 'हेल्प एज इण्डिया' और सोश्यल सिक्यूरिटी फाउंडेशन के सौजन्य से विद्याश्रम में आयोजित कार्यक्रम में श्री अजीत सिंह– अति0 महानिदेशक पुलिस, हैल्प एज के स्टेट हैड हरजीत कुमार सिंह, रेणू सिंह, त्रिलोकीनाथ खण्डेलवाल, कौशल किशोर जैन, वरिष्ठ नागरिक बंधुओं व अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ।

दिनांक– 19 जून 2010 को 6th International Summer School of Jain Studies नई दिल्ली द्वारा आयोजित कार्यक्रम में देश–विदेश से आये प्रोफेसर्स, स्कोलरस व डेलिगेट्स मेडम शिवानी व डा0 कोमलचन्द सोगानी के साथ।

दिनांक 26.6.2010 को मानवाधिकार व पुलिस पर राज. पुलिस एकडेमी में आयोजित गोष्ठी में D.G.P. हरीशचन्द्र मीणा, Addl. D.G.P. प्रदीप व्यास, पूर्व D.G.P. अमिताभ गुप्ता, मोरिस बाबू (आई. जी. मानवाधिकार पुलिस), वरिष्ठ पत्रकार ईश मधुतलवार, श्याम आचार्य, एडवोकेट फारूकी, कविता श्रीवास्तव, Sr. ऑफिसर्स, एकडेमी के डायरेक्टर, अन्य पुलिस अधिकारी, C.L.G., शान्ती समिति के सदस्यगण व गणमान्य नागरिकबन्धुओं के साथ।

मानवाधिकारों से सम्बन्धित बुकलेट्स व 'मानव अधिकार और कर्तव्य' विषयक लेख का जनहित में प्रकाशनः—

1. राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी संघ द्वारा प्रकाशित स्मारिका— 2010 ।
2. समाचार जगत— समाचार पत्र।
3. रौनक टाईम्स' समाचार पत्र ।
4. दैनिक नवज्योति' समाचार पत्र।
5. राजस्थान चैम्बर ऑफ कामर्स के *'राजस्थान चैम्बर संदेश'* (अंक— अप्रेल—2010) ।
6. स्व0 श्री गेंदीलाल शाह, एडवोकेट की पुण्य स्मृति में लॉयन कैलाशचंद व अजय शाह द्वारा।
7. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन कमेटी, मुम्बई, अंचल कार्यालय— जयपुर के अध्यक्ष अशोक नेता।
8. स्व. श्री धर्मपाल जैन की पुण्य स्मृति में।
9. स्व. श्री रामचन्द्र कासलीवाल, एडवोकेट की पुण्य स्मृति में।
10. श्री दिगम्बर जैन नसियां उदयलाल जी ट्रस्ट, जयपुर। (पुनः प्रकाशन)
11. श्री पल्लीवाल जैन, मासिक पत्रिका, मथुरा।

आर्टिकल— 51—ए में निहित कर्तव्यों की जागरूकता कार्यक्रम

आर्टिकल— 51ए के कर्तव्यों के जनजागरूकता कार्यक्रम में पूर्व में करीब 98 संस्थाओं ने आयोग को इस संकल्प के प्रचार—प्रसार की सूचना दी है व कुछ संस्थाओं ने इस त्रैमास में भी संकल्प दोहराने के साथ—साथ आयोग द्वारा तैयार की गई सी0डी0 अपने कार्यक्रम में प्रदर्शित करने की सूचनाऐं दीं है।

1. सेंट पॉल्स इंगलिश स्कूल, भदादा बाग, भीलवाडा।
2. राजस्थान किडनी केयर व किडनी पेशेन्ट एसोसियेशन, जयपुर।
3. जयपुर कैंसर रिलीफ सोसायटी, जयपुर।
4. इण्डियन अस्थमा केयर सोसायटी, जयपुर।
5. हैल्प एज इण्डिया द्वारा *World Elder Abuse Awareness Day* पर।
6. पुलिस ऐकेडमी, तमीलनाडु Addl. D.G.P. व डायरेक्टर द्वारा।
7. राजस्थान पुलिस, महानिदेशक, D.G.P. पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
8. International Summer School of Jain Studies, New Delhi.

Summer Internship 2010

आयोग के माननीय अध्यक्ष के निर्देशन में पूर्व में करीब 35 लॉ विद्यार्थियों के बाद इस वर्ष मई से जून 2010 तक एनएलयू उडीसा (कटक), एनएलयू लखनऊ, सिम्बॉयसिस लॉ कॉलेज/ एनयूएएलएस/भारतीय विद्या पीठ पूणे, केआईआईटी भुवनेश्वर, गवर्मेंट लॉ कॉलेज मुम्बई, एनयूजेएस कोलकाता व फाईव ईयर लॉ कॉलेज—राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के 31 छात्र—छात्राओं ने विभिन्न विषय, जैसे—शिक्षा का अधिकार, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, दलितों के अधिकार, न्याय का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्राइवेट डिफेन्स का अधिकार, बंदियों के अधिकार, कार्यस्थल पर सेक्सुअल हैरेसमेन्ट, घरेलू हिंसा, अभिरक्षा में मृत्यु, *Cyber Law, Copyright Law,* बच्चो में तनाव, Misuse of Women laws, Drug Abusing, स्वयं सेवी संस्थाओं की कार्यप्रणाली, *Judicial Moral & Ethics*, बुजर्गों की समस्या, हेबियस कारपस आदि विषयों पर लगभग 21 प्रोजेक्ट्स Power Point पर तैयार कर आयोग में प्रस्तुत किए। प्रोजेक्ट्स को संकलित कर वेबसाईट पर आमजन में जागरुकता हेतु दी गई।

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के सम्मुख दिनांक 31.3.2010 को 921 प्रकरण शेष थे। तीन माह में नये परिवाद 1038 आये तथा नये, पुराने व पुनः सुनवाई के कुल 969 प्रकरणों का निस्तारण करने के बाद आयोग के सम्मुख दिनांक 30.6.2010 को 990 प्रकरण शेष रहे।

नागरिकों, पत्रकार बन्धुओं व संस्थाओं के द्वारा मानवाधिकारों के संरक्षण, संवर्धन व जागरुकता के कार्यक्रम व कर्तव्यों की पालना में सहयोग के लिये धन्यवाद!

अध्यक्ष- न्यायमूर्ति श्री एन.के. जैन, **सदस्यगण-** जस्टिस जगत सिंह, श्री डी.एस. मीणा एवं श्री पुखराज सिरवी, **सचिव रवि श्रीवास्तव,** महानिरीक्षक पुलिस, राज्य मानव अधिकार आयोग, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, सचिवालय, जयपुर द्वारा प्रकाशित एवं राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।

सम्पादक : उप-सचिव, राजस्थान मानव अधिकार आयोग, जयपुर, फोनः 0141-2227738

E-mail : rshrc@raj.nic.in **Website :** www.rshrc.nic.in, www.justicenagendrakjain.com **Fax :** 0141-2227738

Book Post